फर्द अहकाम

प्रकरण सं0 13/2-25

बनाम श्री [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.12.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09, नियम 09 सिविल प्रकिया संहिता पुनः नम्बर पर लिए जाने सम्बधित मूल वाद पत्र बाबत प्रस्तुत किया है। राजस्व मूल वाद संख्या 787/2002(6/2014) को दिनांक 19.09.2019 को अदालत द्वारा प्रार्थी/वादीया की अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर निर्णित किया गया था। जिसको पुनः नम्बर पर लिये जाने की वांछना लेकर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतशुदा प्रार्थनापत्र पर गत सुनवाई को वकुलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत की गई बहस सुनी गई। बहस के दौराने वादीया के नियुक्त विद्वान अभिभाषक द्वारा स्वयं के प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि यह कि उक्त अनवान के प्रकरण की दिनांक 09/07/2019 व आगामी दिनांक 19/09/2019 को पेशी नियत थी कि जानकारी वादीया को नही थी। यह कि उक्त अनवानी प्रकरण के मुल मुकदमा नंम्बर 787/2002 थे तथा वादीया के वकील श्री रणवीर सिंह नियुक्त होकर वादीया का वाद दिनांक 29/06/2004 को माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय भीलवाडा द्वारा डिकी फरमाया गया जिसकी वादीया द्वारा ईजराय प्रस्तुत की गई जिसके प्रकरण सं.38/04 होकर वादीया के अधिवक्ता द्वारा पालना आदेश दिला कहा गया कि उक्त आदेश पटवार हल्का स्वरूपगंज को देने पर आपके नाम भूमि दर्ज हो जायेगी जिस पर वादीया उक्त आदेश प्राप्त कर प0ह0 स्वरूपगंज को सिपुर्द कर दिया तथा पटवार हल्का के आश्वासन पर कि वादीया के नाम भूमि दर्ज हो जायेगी कि वादीया गरीब कास्तकार होकर अशिक्षित, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली बुर्जग महिला होने से इस विश्वास रह गई जमीन वादीया के नाम दर्ज रिकार्ड हो गई है। तत्पश्चात उक्त मामले में माननीय न्यायालय भुप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा में प्रतिवादीगण एवं रूप लाल पिता किशन लाल गुर्जर द्वारा अलग अलग पेश की गई जिस पर माननीय न्यायालय भुप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा दिनांक 30/08/2005 को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के निर्णय एवं डिकी प्र० सं० 787/02 को निरस्त फरमाते हुए रूपलाल को पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर के जवाब दावा लिया जाकर के सुनवाई का अवसर दिया जाने का आदेश बक्षाया गया। जिसकी भी जानकारी वादीया को	

नही थी।

यह कि दिनांक 13/10/2005 को उक्त प्रकरण को माननीय न्यायालय भु-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के आदेशानुसार माननीय उपखण्ड अधिकारी न्यायालय भीलवाडा में प्रकरण दर्ज किया गया जिसके प्रकरण सं. 154/05 रे. वा. कायम हुए कि जानकारी भी वादीया को नहीं थी। यह कि उक्त प्रकरण माननीय उपखण्ड अधिकारी महो० भीलवाडा के यहा से दिनांक 14/03/2013 को माननीय जिला कलेक्टर महोदय भीलवाडा के आदेश कमांक 6687 से माननीय एसीईएम कोर्ट भीलवाडा को स्थानान्तरित हुआ जहाँ पर विचाराधिन रहते उक्त प्रकरण दिनांक 01/04/2013 को कायमी तनकीयात हेतु आगामी पेशी दिनांक 09/04/2013 नियत की किया गया था। यह कि उक्त अनवानी प्रकरण दिनांक 05/03/2014 को माननीय जिला कलेक्टर महो० भीलवाडा के आदेश कमाक 6637 से स्थानान्तरित्त होकर माननीय न्यायालय आप में प्राप्त हुई थी जिसके प्रकरण सं. 06/14 रे० वाद दर्ज किया गया । यह कि प्रकरण पुर्ववत आदेशानुसार कायमी तनकीयात में नियत होकर के दिनांक 9/7/2019 व दिनांक 19/09/2019 को तनकीयात कायम किया जाना था । यह कि उक्त प्रकरण रिमाण्ड से लगायत विभिन्न न्यायालयो में स्थानान्तरण होकर पत्रावली वादीया की तलबी में नियत रही मगर आज दिनांक तक तारीख पेशी दिनांक बाबत वादीया को कोई नोटिस न्यायालय द्वारा न तो जारी किया गया, न ही विधिवत तागील ही कराया गया, न ही वादीया को समुचित सुचना ही दी गई, न ही वादीया की तामील ही हुई, न ही अधिवक्ता ने कोई नोटिस वादीया को पेशी बाबत दिया, न ही कोई समुचित सुचना ही वादीया को आज दिनांक तक ही दी गई थी। तथा बीच में कोविड 19 का प्रकोप भी रहा है जिससे वादीया न्यायालय आप में प्रकरण विचाराधिन हो तारीख पेशी बाबत उक्त कारणो से जानकारी नही होने से वादीया उक्त दिनांक 19/07/2019 व 19/09/2019 को उपस्थित नही हो सकी जिससे वादीया/प्रार्थीगण का वाद पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज फरमाया गया। जिसे पुनः नम्बर लिया जाना न्यायोचित है।

अप्रार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने वादीया पक्ष द्वारा कथित तर्को/दलीलों का खण्डन करते हुए, निवेदन किया कि किसी भी प्रकरण में वकील नहीं वादी स्वयं ही जिम्मेदार होता है वादी को सजगता रखनी चाहिए। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र 9(9) में अंकित किया कि 15.5.25 में खेती करने गई थी जबकि इस मई माह में कोई खेती नहीं होती। वकील अप्रार्थी द्वारा यह कथन कहा गया की अगर कोई विवाद किया है तो एफ0आइ0आर दिखाओ साथ ही यह भी कथन किया की अपील में आप भी पक्षकार थे, आपको जानकारी करनी चाहिए थी खाली पेपर पर वादिया को हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए थे वकालतनामा मे कोई फर्जी अंगूठा है, तो

एफएसएल जांच की कार्यवाही करनी चाहिए प्रार्थनापत्र करीब 6 वर्ष बाद पेश किया है जिसमे देरी का कोई स्पष्टीकरण नही दिया है व न देरी का कोई कारण बताया है इस कारण से प्रार्थनापत्र मियाद बाहर होने से खारीज होने योग्य है।

मैनें प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की प्रस्तुत बहस पर मनन किया एंव पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध आवश्यक दस्तावेजात एंव मूल राजस्व वाद संख्या 787/2002(6/2014) का बारीकी से अध्ययन एंव विश्लेषण किया। हेतुक के तौर पर अधिवक्ता द्वारा अवगत कराये गये कारण, न्यायालय वाजिब, माकूल एंव मजबूरी युक्त मानता है।

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 09 जा. दी. स्वीकार किया जाकर वादी के प्रार्थनापत्र संख्या 787/2002 (6/2014) को न्यायहित में पुनः नम्बर पर लिये जाने के निर्देश के साथ, खारिज होने से पूर्व के चरण से ही पुनः आरम्भ किये जाने के आज्ञा दी जाती है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी
हम्मीरगढ़ (राज.)